न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—61/2018/225 (2018/00061)

1. माधुसिंह उर्फ महादेव सिंह पुत्र धन्नासिंह,
2. प्रभूसिंह पुत्र धन्नासिंह,
3. उदयसिंह पुत्र धन्नासिंह,
4. चौथूसिंह पुत्र धन्नासिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी नरबद खेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. गिरधारी पुत्र सूजा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— गोपाल पुत्र गिरधारी,
   1/2— लादूसिंह पुत्र गिरधारी,
   1/3— पूनमसिह पुत्र गिरधारी,
   1/4— श्रवणसिंह पुत्र गिरधारी,
   1/5— मोहनसिंह पुत्र गिरधारी,
   1/6— केसी देवी पुत्री गिरधारी,
   1/7— गीता देवी पुत्री गिरधारी,
   1/8— सीता देवी पुत्री गिरधारी,
   1/9— झमरी देवी पुत्री गिरधारी,
2. तेजसिंह पुत्र मनोहरसिंह,
3. गणेशसिंह पुत्र लाखासिंह,
4. नाथी पुत्री धन्नसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— मिट्ठूसिंह पुत्र नाथी,
   4/2— सोहनसिंह पुत्र नाथी,
   4/3— केली देवी पुत्री नाथी,
5. कमला पुत्री धन्नासिंह,
6. चम्पा पुत्री लाखा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— भैरूसिंह पुत्र घीसासिंह,
   6/2— सीता पुत्री घीसासिंह,
7. मेथी देवी पत्नी त्रिलोकसिंह,

   समस्त जाति रावत, निवासी नरबदखेड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 8.1.2018 अंतर्गत वाद संख्या 81/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री माधवराज सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 5 अनुपस्थित ।
4. श्री हनुमान प्रसाद, वकील रेस्पो0 संख्या 6/1, 6/2 एवं 7.
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 व 9.

निर्णय

दिनांकः— 8.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 89 (2), 90, 91, 92/1 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर कथन किया कि ग्राम नरबदखेडा तहसील ब्यावर में स्थित खाता संख्या पुराना 29 नया 40 में गिरधारी वल्द सुजा हिस्सा 1/2 व तेजसिंह पुत्र मनोहरसिंह हिस्सा 1/2 जो निम्न खसरा नंबर 929/1 रकबा 4—7—10, 988 रकबा 2—12—10, 989 रकबा 00—19—00, 1085 रकबा 00—17—10, 1096 रकबा 00—18—00, 1180 रकबा 00—06—10, 1453 रकबा 00—08—00, 1454 00—02—00 अवस्थित है । उक्त समस्त भूमियों का पूर्व में ही आपसी समझौते से बाहमी बंटवारा हो गया था तब से वादीगण अपने बाहमी बंटवारे में आई आराजियात पर खेती काश्त करते चले आ रहे है । उक्त बाहमी बंटवारे के बाद प्रतिवादीगण को नामांतकरण खुलवाने हेतु तकाजा किया परन्तु प्रतिवादीगण आनाकानी कर रहे है । प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से मिलीभगती कर उक्त आराजियात को अपने नाम दर्ज करवा ली । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे एवं वादीगण के हिस्से की आराजी बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड में में परिवर्तन किया जाकर वादीगण को उनके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य पूर्व में आपसी समझौता से बंटवारा होकर वादीगण अपने हिस्से में आई आराजी पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी/रेस्पो0 विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है । इस कारण अधी0न्याया0 को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन करते हुए वादी का वाद डिक्री करना चाहिये था । वादी ने अपना वाद घोषणा खातेदार एवं विभाजन हेतु पेश किया था । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीसिंह का स्वर्गवास हो जाने के

आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद को उपशमन के आधार पर निरस्त करने का आदेश पारित करने में भूल की है जबकि विभाजन का वाद किसी पक्षकार के देहांत हो जाने पर सहखातेदार के विरूद्ध अबैट नहीं होता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 का देहांत होने पर दिनांक 4.6.2014 को कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था इस कारण न्यायालय को प्रतिवादी गिरधारीसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर वाद का गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये था क्योंकि मृतक विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार है इसलिये विभाजन का वाद अबैट नहीं किया जा सकता था । विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है किन्तु प्रतिवादीगण ने पटवारी से साज कर विवादित आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि आराजी का बहुत पहले ही आपसी बंटवार होकर वादीगण अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रतिवादीगण ने इस तथ्य का अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा पेश कर खण्डन नहीं किया ऐसी स्थिति में वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादग्रस्त साबिक खसरा नंबरान वादीगण के पूर्वज धन्ना पुत्र कज्जा अथवा कज्जा पुत्र भवाना के नाम राजस्व रिकार्ड में कभी भी दर्ज नहीं रही है ना ही इस संबंध में वादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । केवल मात्र एक साबिक खसरा नंबर 868 रकबा 2–12–10 कज्जा वल्द भवाना कौम रावत साकिन देह ताबेमर्जी मुर्तहीन खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1350 में दर्ज है । ताबेमर्जी अर्थात् उक्त भूमि साबिक सरा नंबर 868 पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । वादी माधूसिंह उर्फ महोदव ने स्वंय स्वीकार किया है कि धन्नासिंह व सुजानसिंह काका–बाबा के भाई थे । धन्नासिंह के पिता का नाम कज्जा व सुजानसिंह के पिता का नाम लाला था । लाला व कज्जा ने अपने जीवनकाल में ही आराजियात बांट ली थी और उसी अनुसार कब्जे में चली आ रही है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । <u>वादीगण/अपीलांटस</u> ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 89(2),90, 91, 92/1 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है किन्तु प्रतिवादीगण ने पटवारी से मिलीभगत कर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि आराजी का पूर्व में ही आपसी बंटवारा होकर वादीगण अपने हिस्से में आई आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादी का वाद अबेट किया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विरूद्ध एकतरफा में कार्यवाही की तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जवाब हक बंद किया है । वादीगण ने अपने वाद में खातेदारी उद्घोषणा के साथ–साथ विभाजन का भी अनुतोष चाहा है । विधिनुसार विभाजन के वाद को अबेट नहीं किया जा सकता है । दौराने बहस अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा वाद में तनकियात कायम किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के

निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में बिना तनकियात कायम किये सरसरी तौर पर वाद निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 8.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर